प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

एफसीए– मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करके निर्मित सड़कों के नियमितीकरण की मांग को लेकर 10 मई, 2025 से पहले न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की जाएगी। शिमला में आज वन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसी सड़कों के नियमितीकरण के लिए कानूनी सहायता लेने की आवश्यकता पर बल दिया और इस संबंध में विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में ऐसी 2 हजार एक सौ 83 सड़कें हैं, जिनमें शिमला जोन में 6 सौ 13, मंडी में 8 सौ 21, हमीरपुर में 2 सौ 54 और कांगड़ा जोन में 4 सौ 95 सड़कें शामिल हैं। ये सड़कें राज्य में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्मित की गई है जिसे हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2016 में लागू किया गया था।

अजय टम्टा

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में 73 हज़ार करोड़ रुपए की फोरलेन, एन.एच.ए.आई. और सेतुबंदन सहित विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं। वे आज शिमला में आबेंडकर सम्मान सभा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अजय टम्टा ने कहा कि इन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण में प्रदेश की सुक्खू सरकार सहयोग नहीं कर रही है जिसके चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और मदद देना चाहती है लेकिन हिमाचल सरकार इसमें रोड़ा अटका रही है।

अशोक गहलोत

वरिष्ठ कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए गहलोत ने

कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकार केंद्रीय एजेंसियों ईडी, सीबीआई का प्रयोग कर झूठे मामले बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की विरासत को बचाने का काम किया है और गांधी परिवार का देश की आजादी में अहम योगदान रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और भाजपा विपक्षी पार्टियों को दुश्मन की तरह देख रही है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

स्वच्छ शहर–समृद्ध शहर'

प्रदेश के शहरी विकास विभाग द्वारा संचालित 'स्वच्छ शहर–समृद्ध शहर' अभियान में सोलन नगर निगम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि ने सोलन को स्वच्छता और विकास के क्षेत्र में एक नया मुकाम दिलाया है। शहरी विकास विभाग ने 60 दिनों की अवधि में इस अभियान को शुरू किया था, जिसमें सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, और नागरिक सेवाओं को बेहतर करने के लिए कार्य करना था। सोलन नगर निगम की महापौर ऊषा शर्मा ने बताया कि यह उपलब्धि निगम के कर्मचारियों और शहरवासियों की कड़ी मेहनत व सहयोग का परिणाम है। उन्होंने लोगो से बाहर कूड़ा न फैंकने का आग्रह भी किया ताकि भविष्य में भी सोलन स्वच्छता में अव्वल बना रहे।

————————————